पत्र संख्या–6A BASU (1)01/2026 – 1150 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

XX
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

पटना–15, दिनांक–02/03/2026.

XX

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में 10,65,54,000/– (दस करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार) मात्र की पूरक योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागीय राज्यादेश संख्या–2318, दिनांक–26.05.2025 द्वारा 66.81 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त के क्रम में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पत्रांक–1247, दिनांक–14.01.2026 द्वारा विश्वविद्यालय के अंगीभूत ईकाइयों के बाह्यस्रोत कर्मियों के भुगतान एवं अन्य भुगतान हेतु 10,65,54,000/–(दस करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार) मात्र आवंटित कराये जाने का अनुरोध किया गया है। तदालोक में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में 10,65,54,000/– (दस करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–क संलग्न।

2. यह प्रतिबद्ध व्यय मद में आकस्मिकता आदि मदों में व्यय से संबंधित है। इन मदों में राशि की विमुक्ति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत बाह्यस्रोत कर्मियों तथा अन्य संबंधित भुगतान अन्य विविध कार्यों को करने में सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी, जिससे विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से शिक्षा तथा शोध का कार्य सम्पन्न हो सकेगा।

3. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, संजय गाँधी डेयरी तकनीकी संस्थान, पटना के लिए सहायक अनुदान गैर वेतन के लिए राशि की स्वीकृति प्रस्तावित है। प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	व्यय का मद/विषय शीर्ष	राशि
1.	सहायक अनुदान गैर वेतन (0001–31.06)	10,65,54,000

O/4

4. प्रस्तावित राशि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा बाह्यस्रोत कर्मियों एवं अन्य संबंधित भुगतान के साथ अन्य विविध कार्यों पर प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जायेगा।

5. योजना कार्यान्वयन में कोई कठिनाई परिलक्षित होने पर प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

6. निदेशक, पशुपालन एकमुश्त राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को बी०टी०सी० फार्म–46 पर पी०एल० खाता में उपलब्ध करायेंगे। नियमानुसार पी०एल० खाता में उतने ही राशि का अन्तरण किया जाना चाहिए जितना तुरन्त व्यय आवश्यक हो। अनावश्यक राशि पी०एल० खाता में पार्क नहीं किया जाए।

7. निदेशक, पशुपालन का यह दायित्व होगा कि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को उपलब्ध कराये जाने वाले राशि का उपयोग कुलपति लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति पर कर रहे हैं या नहीं इसका अनुश्रवण कर विभाग को अनुश्रवण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी ससमय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03 –पशुपालन, लघु शीर्ष–277 –शिक्षा, उप शीर्ष–0001 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, माँग संख्या–02, विपत्र कोड 02–2415032770001, विषय शीर्ष–0001.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध से किया जाएगा।

9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। साथ ही इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव होंगे।

10. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि स्वीकृत राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उसके विकास पर करेंगे ताकि विश्वविद्यालय अपने लक्षित उद्देश्य को प्राप्त कर सके।

11. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/ 2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

12. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि पी०एल० खाता के माध्यम से भुगतान किये गये राशि का Benificiary Payee List (CFMS प्रणाली में उपलब्ध) महालेखाकार कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जाय तथा महालेखाकार कार्यालय से वर्षवार सामंजन उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाय।

13. यह एक चालू योजना है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत 10,65,54,000/–(दस करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार) मात्र की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6A BASU(1)01/2026 के पृष्ठ–11/टि० एवं दिनांक–26.02.2026

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6A BASU(1)01/2026 के पृष्ठ–08/टि० तथा डायरी संख्या–141 दिनांक–20.02.2026

15. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। साथ ही 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृति आदेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से अगले एक माह के अन्दर करा लिया जाय।

विश्वासभाजन,

2/3/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–6A BASU(1)01/2026– 1150 /पटना–15, दिनांक:–02/03/2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–6A BASU(1)01/2026– 1150 /पटना–15, दिनांक:–02/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–6A BASU(1)01/2026– 1150 /पटना–15, दिनांक:–02/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)01/2026– 1150 /पटना–15, दिनांकः– 02/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालय के लेखा शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)01/2026– 1150 /पटना–15, दिनांकः– 02/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना प्रसार, बिहार, पटना/महालेखाकार, लेखा परीक्षा कार्यालय, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)01/2026– 1150 /पटना–15, दिनांकः–02/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

2/3/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)01/2026– 1150 /पटना–15, दिनांकः– 02/03/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/26
सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी–क

वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से स्वीकृत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की अन्य विविध कार्यों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणीः–

विपत्र कोड 02–2415032770001 (राशि रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0001–31.06 –सहायक अनुदान– गैर–वेतन	10,65,54,000	प्रधान सचिव/ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना।
योगः– 10,65,54,000				

कुल (रुपये दस करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार) मात्र।

1150
02/03/26

2/3/26

अपर सचिव